रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, 25 अगस्त, 1981

भाद्रपद 3, 1903 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

निर्यात प्रोत्साहन विभाग

संख्या 2673/18–निर्यात–12 (24)-81

लखनऊ, 25 अगस्त, 1981

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) की धारा 2 के खण्ड (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि कस्बा भदोही और उसके आठ किलोमीटर के अर्द्ध-व्यास के भीतर पड़ने वाला क्षेत्र "औद्योगिक विकास क्षेत्र" होगा और उसे "भदोही औद्योगिक विकास क्षेत्र" कहा जायगा।

2—राज्यपाल अग्रतर उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उपर्युक्त औद्योगिक विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक प्राधिकारी का गठन करते हैं जिसे "भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकारी" कहा जायगा जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1—सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, उद्योग विभाग या उनका नामांकिती जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो——पदेन	अध्यक्ष
2—सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सार्वजनिक निर्माण विभाग या उनका नामांकिती जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो——पदेन	सदस्य
3—सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार' नगर विकास विभाग या उनका नामांकिती जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो——पदेन	सदस्य
4—सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार वित्त विभाग या उनका नामांकिती जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो	सदस्य
5—प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	सदस्य
6—प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम	सदस्य
7—निर्यात निदेशक, उत्तर प्रदेश (या उनका नामांकिती)	सदस्य
8—प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम	सदस्य

9—जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी .. .. .. सदस्य

10—मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश .. .. सदस्य

11—मुख्य कार्यपालक अधिकारी .. .. सदस्य सचिव

3—उपर्युक्त प्राधिकारी का मुख्यालय भदोही, जिला वाराणसी में होगा।

आज्ञा से,

सुमन कुमार मोडवेल,

सचिव, उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2673/XVIII-Niryat—12 (24)-81, dated August 25, 1981 for general information :

No. 2673/XVIII-Niryat—12 (24)-81

Dated Lucknow, August 25, 1981

In exercise of the powers under clause (*d*) of section 2 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U. P. Act no. 6 of 1976), the Governor is pleased to declare that the Bhadohi town and the area falling within a radius of eight kilometers thereof shall be an 'industrial development area', to be called the 'Bhadohi Industrial Development Area'.

2. The Governor is further pleased, in exercise of powers under section 3 of the said Act, to constitute, in respect of the above mentioned Industrial Development Area, for the purpose of the said Act, an Authority to be called the 'Bhadohi Industrial Development Authority', consisting of the following :

1. Secretary to the Government, Uttar Pradesh, Industries Department or his nominee who shall not be below the rank of Joint Secretary *Ex-officio*. .... *Chairman.*
2. Secretary to the Government, Uttar Pradesh, Public Works Department or his nominee who shall not be below the rank of Joint Secretary-*Ex-officio*. .. *Member.*
3. Secretary to the Government, Uttar Pradesh, Urban Development Department or his nominee who shall not be below the rank of Joint Secretary-*Ex-officio*. ... *Member.*
4. Secretary to the Government, Uttar Pradesh, Finance Department or his nominee who shall not be below the rank of Joint Secretary. .. *Member.*
5. Managing Director, Uttar Pradesh Industrial Development Corporation Limited. .. *Member.*
6. Managing Director, Uttar Pradesh Export Corporation Ltd. ... *Member.*
7. Director of Exports, Uttar Pradesh, (or his nominee) .. *Member.*
8. Managing Director, Uttar Pradesh Jal Nigam ... *Member.*
9. District Magistrate, Varanasi. .. *Member.*
10. Chief Town and Country Planner, Uttar Pradesh ... *Member.*
11. Chief Executive Officer. ... *Member-Secretary.*

3. The headquarter of the abovementioned Authority will be at Bhadohi, district Varanasi.

By order,

S. K. MODWEL,

Secretary,

Industries and Export Promotion Department.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 385 राजपत्र (हि०)—26-8-81—(1636)—1981—1315 (मैक०)।